



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28042026-272124
CG-DL-W-28042026-272124

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, अप्रैल 19—अप्रैल 25, 2026, शनिवार/चैत्र 29—वैशाख 5, 1948
No. 14] NEW DELHI, APRIL 19—APRIL 25, 2026, SATURDAY/CHAITRA 29—VAISAKHA 5, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 94.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़ (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2011, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, क्षेत्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी II और ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक पद भर्ती नियम 2013 और क्षेत्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़ (कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2013 का उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, क्षेत्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में निदेशक, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन, क्षेत्रीय ओषधि परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़, (समूह 'क' और 'ख' पद), भर्ती नियम 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना - ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. निदेशक	1*(2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (123100-215900 रुपये)

चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा
(5)	(6)
चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी
(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिबीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जिन्होंने इस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की है और केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्वायत्त या कानूनी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा

		(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11(67700-208700 रुपये) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित अर्हता रखते हों, अर्थात् :- (i) आवश्यक:- (अ) शैक्षणिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान अथवा जैवरसायन अथवा भेषज विज्ञान अथवा भेषजी रसायन विज्ञान अथवा भेषज गुण विज्ञान अथवा जीवाणु विज्ञान अथवा आयुर्विज्ञान अथवा सूक्ष्म जीव विज्ञान अथवा जैव प्रौद्योगिकी में निष्णात उपाधि; और (आ) अनुभव : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ओषधियों के परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में बारह वर्ष का अनुभव । (ii) वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान अथवा जैवरसायन अथवा भेषज विज्ञान अथवा भेषजी रसायन विज्ञान अथवा भेषज गुण विज्ञान अथवा जीवाणु विज्ञान अथवा आयुर्विज्ञान अथवा सूक्ष्मजीव विज्ञान अथवा जैवप्रौद्योगिकी में वाचस्पति उपाधि । टिप्पण 1.- पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष ; 2. अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य ; 3. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली - सदस्य; 4. औषध नियंत्रक, (भारत), केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	2* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये)

(5)	(6)
लागू नहीं होता	चालीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।) टिप्पण : संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।

(7)	(8)
आवश्यक: (i) शैक्षिक अर्हताएं : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान अथवा जैवरसायन अथवा भेषज विज्ञान अथवा भेषजी रसायन विज्ञान अथवा भेषज गुण विज्ञान अथवा जीवाणु विज्ञान अथवा आयुर्विज्ञान अथवा सूक्ष्मजीवविज्ञान अथवा जैवप्रौद्योगिकी में निष्णात उपाधि; और	लागू नहीं होता

(ii) अनुभव : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ओषधियों के परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में आठ वर्ष का अनुभव

वांछनीय अर्हता :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान अथवा जैवरसायन अथवा भेषज विज्ञान अथवा भेषजी रसायन विज्ञान अथवा भेषज गुण विज्ञान अथवा जीवाणु विज्ञान अथवा आयुर्विज्ञान अथवा सूक्ष्मजीव विज्ञान अथवा जैवप्रौद्योगिकी में वाचस्पति उपाधि ।

टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

टिप्पण 2 : अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, विवेकाधिकार से, अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10(56100-177500 रुपये) में वैज्ञानिक अधिकारी, जिन्होंने इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की है और केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / प्रोन्नति : केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी,- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों :- (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56100-177500 रुपये) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन वर्णित बांछनीय अर्हता और अनुभव रखते हैं। टिप्पण 1.- पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य

		संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय – अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली - सदस्य ; 3. औषध नियंत्रक (भारत) अथवा संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन – सदस्य।	सीधी भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. वैज्ञानिक अधिकारी	2* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (56100-177500 रुपये)

(5)	(6)
चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	i. पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा; और ii. पचास प्रतिशत अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8(47600-151100 रुपये) में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, जिन्होंने इस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की है और केंद्रीय सरकार द्वारा विहित दो सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार

		किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 9 (53100-167800 रुपये) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 8 (47600-151100 रुपये) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर चार वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हो : (i) आवश्यक:- (अ) शैक्षणिक अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान अथवा जैवरसायन अथवा भेषज विज्ञान अथवा भेषजी रसायन विज्ञान अथवा भेषज गुण विज्ञान अथवा जीवाणु विज्ञान अथवा आयुर्विज्ञान अथवा सूक्ष्मजीवविज्ञान अथवा जैवप्रौद्योगिकी में निष्णात उपाधि; और (आ) अनुभव : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ओषधियों के परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में छह वर्ष का अनुभव । (ii) वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान अथवा जैवरसायन अथवा भेषज विज्ञान अथवा भेषजी रसायन विज्ञान अथवा भेषज गुण विज्ञान अथवा जीवाणु विज्ञान अथवा आयुर्विज्ञान अथवा सूक्ष्मजीव विज्ञान अथवा जैव प्रौद्योगिकी में
--	--	---

		वाचस्पति उपाधि। टिप्पण 1.- पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	---

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष ; 2. अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य ; 3. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य ; 4. औषध नियंत्रक (भारत) अथवा संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन -सदस्य। समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली - सदस्य ; 3. औषध नियंत्रक (भारत) अथवा संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य ।	प्रोन्नति हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
4. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	2* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -8 (47600-151100 रुपये)

(5)	(6)
लागू नहीं होता	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।) टिप्पण : संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।

(7)	(8)
आवश्यक: (i) शैक्षिक अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान अथवा जैवरसायन अथवा भेषज विज्ञान अथवा भेषजी रसायन विज्ञान अथवा भेषज गुण विज्ञान अथवा जीवाणु विज्ञान अथवा आयुर्विज्ञान अथवा सूक्ष्मजीवविज्ञान अथवा जैवप्रौद्योगिकी में निष्णात उपाधि। (ii) अनुभव : ओषधियों के परीक्षण और मानकीकरण तथा अनुसंधान में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान अथवा जैवरसायन अथवा भेषज विज्ञान अथवा भेषजी रसायन विज्ञान अथवा भेषज गुण विज्ञान अथवा जीवाणु विज्ञान अथवा आयुर्विज्ञान अथवा सूक्ष्मजीव विज्ञान अथवा जैवप्रौद्योगिकी में विद्यावाचस्पति उपाधि टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। टिप्पण 2 : अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, विवेकाधिकार से, अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष । टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	i) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; और (ii) पचास प्रतिशत अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति अथवा प्रोन्नति द्वारा,	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/प्रोन्नति (समेकित पद्धति) : केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करते हों ; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 7 (44900-142400 रुपये) या समतुल्य पद पर नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर दो वर्ष की सेवा की हो; और ख) जो स्तभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। टिप्पण 1: विभागीय वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, स्तर-7 (रु. 44900-142400), जिसने श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो, उस पर बाह्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी को उक्त पद पर नियुक्ति हेतु चयनित किया जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली – सदस्य;	सीधी भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

3. औषध नियंत्रक (भारत) अथवा संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य ।	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)
5. ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक	1* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400 रुपये)

(5)	(6)
चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, जिन्होंने इस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की है और विभाग द्वारा विहित दो सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य ;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

3. औषध नियंत्रक (भारत) अथवा संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन	- सदस्य।
---	----------

(1)	(2)	(3)	(4)
6. कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	3* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रुपये)

(5)	(6)
लागू नहीं होता।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु सीमा पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।) टिप्पण : कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।
(7)	(8)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन विज्ञान अथवा जैवरसायन अथवा भेषज विज्ञान अथवा भेषजी रसायन विज्ञान अथवा भेषज गुण विज्ञान अथवा जीवाणु विज्ञान अथवा आयुर्विज्ञान अथवा सूक्ष्मजीवविज्ञान अथवा जैवप्रौद्योगिकी में निष्णात उपाधि। टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। टिप्पण 2 : अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, विवेकाधिकार से, अनुभव संबंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य	लागू नहीं होता

टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी: (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300 रुपये) में पदों पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।	
---	---	--

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष ; 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली -सदस्य ; 3. औषध नियंत्रक (भारत) अथवा संयुक्त औषध नियंत्रक (भारत), केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन -सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12018/2/2020-डीआरएस]

अंशु कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 8th April, 2026

G.S.R. 94.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2011, Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh, Senior Scientific Officer Grade II and Senior Scientific Assistant posts Recruitment Rules 2013 and Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh (Junior Scientific Assistant), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Director, Senior Scientific Officer, Scientific Officer, Junior Scientific Officer, Senior Scientific Assistant and Junior Scientific Assistant in the Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Drugs Standard Control Organisation, Regional Drugs Testing Laboratory, Chandigarh, (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.** - These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission or Staff Selection Commission, as the case may be, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Director.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 13 (Rs.123100-215900) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(5)	(6)
Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
------------------------------	--	---

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By Promotion failing which by deputation including short-term contract.	Promotion: Senior Scientific Officer in level-11 (Rs. 67700-208700) of the pay matrix with ten years' of regular service in the grade rendered after

		appointment thereto and having successfully completed two weeks training as prescribed by the Central Government. Note:- Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation including short-term contract: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' of regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 12 (Rs. 78800-209200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' of regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualification mentioned below, namely:- (i) Essential:- (A) Educational qualification: Masters Degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised University or Institute; and (B) Experience: Twelve years' experience in drugs testing and standardisation and research from a recognised institute. (ii) Desirable: Doctorate Degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised University or Institute. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation
--	--	---

		(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman, Union Public Service Commission- Chairperson; 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare – Member; 3. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi – Member; 4. Drugs Controller, (India), Central Drugs Standard Control Organisation – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Senior Scientific Officer.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs.67700- 208700) in the pay matrix.

(5)	(6)
Not applicable.	Not exceeding forty years' of age/(relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission in the case of direct recruits.

(7)	(8)
(a) Essential: (i) Educational qualifications: Master's Degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised university or institute; and (ii) Experience: Eight years' experience in	Not applicable.

drugs testing and standardisation and research from a recognised institute.

(b) Desirable qualification:

Doctorate Degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised university or institute.

Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite

experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
---	--

(9)	(10)	(11)
One year for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	(a) fifty per cent. by direct recruitment; and (b) fifty per cent by promotion failing which deputation (including short-term contract).	Promotion: Scientific officer in level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto and have successfully completed two weeks training as prescribed by the Central Government. Note:- Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation including short-term contract: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or university or recognised research institution,- (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix rendered after appointment to the post on a regular basis or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the desirable qualification and experience mentioned under column (7). Note 1: The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi - Member; 3. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for Direct Recruitment.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Scientific Officer.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix.

(5)	(6)
Selection Post	Not applicable.

(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Two years for promotee. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	(a) Fifty per cent. by promotion failing which deputation including short-term contract; and (b) fifty per cent. by deputation including short-term contract.	Promotion: Junior Scientific Officer in level 8 (Rs. 47600-151100) with four years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed two weeks mandatory training as prescribed by the Central Government. Note:- Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or recognised university or recognised research institution: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years of regular service in level 9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix rendered after appointment to the post on a regular basis or equivalent in the parent cadre or department; or

		(iii) with four years of regular service in level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix rendered after appointment to the post on a regular basis or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualifications and experience: (i) Essential:- (A) Educational Qualification:- Masters Degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised University or Institute; (B) Experience:- Six Years' experience in drugs testing and standardization and research from a recognized institute. (ii) Desirable: Doctorate Degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised University or Institute. Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including (short-term contract) the period of deputation including (short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.
--	--	--

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Union Public Service Commission - Chairperson; 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Member; 3. Director General of Health Services, New Delhi - Member; 4. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation - Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for promotion.

considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi - Member; 3. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation - Member.	
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)
4. Junior Scientific Officer.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 (Rs. 47600- 151100) in the pay matrix.

(5)	(6)
Not applicable.	Not exceeding thirty years' of age (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)
(a) Essential: (i) Educational qualification: Masters Degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised university or institute. (ii) Experience: Four years experience in drugs testing and standardisation and research from a recognised institute. (b) Desirable: Doctorate Degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised university or institute.	Not applicable.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
--	--

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	(a) Fifty per cent. by direct recruitment; and (b) fifty per cent. by deputation including short-term contact or promotion.	Deputation including short-term contract/Promotion (composite method): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous or statutory organization or public sector undertakings or university or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' of regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-7 (Rs. 44900-142400) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience specified for direct recruits under column (7). Note 1: The departmental Senior Scientific Assistant in Level-7 (Rs. 44900-142400) with two years' of regular service in the grade and having the education qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.

		Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi - Member; 3. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for direct recruitment.

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Senior Scientific Assistant.	1* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix.

(5)	(6)
Selection.	Not applicable.

(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By promotion.	Promotion. Junior Scientific Assistant in level 6 (Rs. 35400-112400) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto and has successfully completed two weeks mandatory training as prescribed by the department. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi -Member; 3. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)
6. Junior Scientific Assistant.	3* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.

(5)	(6)
Not applicable.	Not exceeding thirty years' of age (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issue by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)
Essential: Masters Degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology from a recognised university or institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are	Not applicable.

relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	
--	--

(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	100% by direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years' regular service in posts in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix; and (b) Possessing the qualifications and experience specified for direct recruits under column (7).	Not applicable.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairperson; 2. Director, Directorate General of Health Services, New Delhi -Member; 3. Drugs Controller (India) or Joint Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/2/2020-DRS]
ANSHU KUMAR, Under Secy.

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 95.—भारत के राजपत्र में प्रकाशित, इस मंत्रालय की अधिसूचना सां.का.नि. सं. 4 दिनांक 9 जनवरी 2026 के हिंदी पाठ में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है: -

1. उक्त अधिसूचना की तालिका के कॉलम (2) “अधिकारी का नाम एवं पदनाम” में क्रम संख्या 2 के पदनाम, अर्थात्:—

“श्री हेमंत कुमार भास्कर, अधिशासी अभियंता (सिविल)” को;

निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है: -

“श्री हेमंत कुमार भास्कर, अधीक्षक अभियंता (सिविल)”

2. उक्त अधिसूचना की तालिका के कॉलम (3) “अधिकार क्षेत्र की सीमा” में दर्ज निम्नलिखित प्रविष्टियाँ, अर्थात्:—

“कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर” को;

निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है: -

“दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर”

3. इस शुद्धि पत्र को उक्त अधिसूचना के मूल प्रकाशन की तिथि दिनांक 9 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

[फा. सं. ए-12011/8/2019-पी.ई.-II]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th April, 2026

G.S.R. 95.—In the Hindi version of the Notification of this Ministry G.S.R. No.4 dated 9th January 2026 published in the Gazette of India, the following correction is hereby made: —

1. In the said Notification, in the Table, under column (2) bearing the heading “Name & Designation of the Officer”, against Serial Number 2, for the designation, namely:—

“श्री हेमंत कुमार भास्कर, अधिशासी अभियंता (सिविल)”;

the following shall be substituted, namely:—

“श्री हेमंत कुमार भास्कर, अधीक्षक अभियंता (सिविल)”

2. In the said Notification, in the Table, under column (3) bearing the heading “Limits of Jurisdiction”, against the following entries: -

“ कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर ”

the following shall be substituted, namely: —

“ दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर ”

3. This Corrigendum shall be deemed to have come into force on the date of publication of the said Notification in the Official Gazette, i.e., 9th January, 2026.

[F. No. A-12011/8/2019-PE-II]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.